सं. 85] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2006/ज्येष्ठ 1, 1928
No. 85] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2006/JYAISTHA 1, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 18 मई, 2006

सं. टीएएमपी/23/2006-एनएमपीटी—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी)से निर्यातीत लौह अयस्क/गुट्टिकाओं पर, संलग्न आदेश के अनुसार, पोतघाट प्रभार निर्धारित करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/23/2006-एनएमपीटी

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) आवेदक

आदेश

(मई 2006 के 11 वें दिन पारित)

यह प्रकरण कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड(केआईओसीएल) द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान एनएमपीटी के माध्यम से निर्यातीत लौह अयस्क/गुट्टिकाओं के लिए अंतिम पोतघाट प्रभार निर्धारित करने के लिए न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है

2. एनएमपीटी ने कहा है कि केआईओसीएल द्वारा एनएमपीटी के माध्यम से निर्यातीत लौह अयस्क के लिए पोतघाट भाडा दर की गणना संबंधित वर्ष में किये गये वास्तविक व्यय के संदर्भ से की गई है । केआईओसीएल अयस्क के मामले में पोतघाट भाडा दरें निर्धारित करने की पद्धति सचिव (भूतल परिवहन मंत्रालय) और सचिव (इस्पात) के बीच दिनांक 27 मई 1992 को हुई अंतर सचिवीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार है । उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि केआईओसीएल के लिए पोतघाट भाडा दर नीचे दिए गए विभिन्न घटकों पर हुए वास्तविक व्यय के आधार पर प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए :-

(i) यातायात विभाग के प्रचालन व्यय का हिस्सा ।
(ii) प्रहस्तित यातायात के अनुपात में निकर्षण व्यय ।
(iii) मूल्यह्रास
(iv) प्रबंधन और प्रशासनिक उपरिव्ययों का हिस्सा ।
(v) पूंजी पर ब्याज ।
(vi) पूंजी पर 6% की दर से प्रतिलाभ ।

3. एनएमपीटी ने कहा है कि वर्ष 2004-05 के लिए पोतघाट भाडा दर, अलग-अलग द्विपक्षीय अनुबंधों के अनुसार एमआरपीएल, केआईओसीएल और एनएमपीटी के बीच व्यय के विशेष तत्वों की हिस्सेदारी पर विचार करके तय की गई है । वर्ष 2004-05 के लिए अंतिम दर वास्तविक व्ययों के आधार पर तय की गई है और रु 28.90 प्रति मी.ट. निर्धारित की गई है ।

4. एनएमपीटी ने यह भी सूचित किया है कि केआईओसीएल द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात पोतघाट भाडा की गणना की जाँच की गई है और लिखितरुप में दर की पुष्टि की गई है ।

5. केआईओसीएल द्वारा एनएमपीटी के माध्यम से निर्यात किए गए लौह अयस्क पर वर्ष 2004-05 के लिए रु. 28.90 प्रति मी.ट. की दर निर्धारित करने हेतु एनएमपीटी का प्रस्ताव दरों के पूर्वव्यापी अनुमोदन का मामला है । यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियो के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होनेवाले प्रशुल्क का विशिष्ट परिस्थितियों के सिवाय सामान्यरुप से प्रभाव उत्तरव्यापी होगा । वर्तमान मामले में, चूंकि वास्तविक व्यय के कुछ घटकों के हिस्से के आधार पर दर का निर्धारण करना है इसलिए वर्ष 2004-05 के लिए, दर को पूर्वव्यापी प्रभावी से अनुमोदित करना होगा । इसके अलावा, पत्तन और उपयोगकर्ता के बीच सहमत दर पर पहुँचने के लिए कोई मतभेद नहीं है । यह प्राधिकरण केआईओसीएल द्वारा एनएमपीटी के माध्यम से निर्यातीत लौह अयस्क के बारे में वर्ष 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के लिए, इसी प्रकार से, पहले पोतघाट भाडा दर निर्धारित कर चुका है । कुद्रेमुख लौह अयस्क पर वर्ष 2003-2004 के लिए पोतघाट भाडा की अनुमोदित दर रु. 30.53 प्रति मी.टन थी ।

6. तदनुसार, समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण केआईओसीएल द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान न्यू मंगलौर पत्तन से निर्यातीत लौह अयस्क/गुटि्टकाओं के लिए पोतघाट भाडा दर रु. 28.90 प्रति मी.ट. हेतु एनएमपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित करता है ।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2005/असा.]